न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 61/20

GCMS NO 2020/00115

1. गंगाधर पुत्र रामकुवार
2. उमेश पुत्र शम्भू
3. विनोद पुत्र शम्भू
4. प्रमोद पुत्र शम्भू
5. निरम पुत्र शम्भू
6. प्रेम देवी पत्नि शम्भू समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान गुर्जर मोहल्ला गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. बिच्चा पुत्री रामकुवार पत्नि रामजीलाल गुर्जर निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
2. मिण्टो पुत्री रामकुवार पत्नि हरगोविन्द गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला गंगापुर सिटी
3. कमल पुत्र रामकुवार गुर्जर निवासी चामुण्डा देवी मंदिर के पास गंगापुर सिटी
4. चिरंजी पुत्र रामकुवार गुर्जर निवासी वार्ड न0 5 स्कूल के पास गंगापुर सिटी
5. करण सिह पुत्र मूलचंद
6. बाबूलाल पुत्र मूलचंद
7. श्यामलाल पुत्र मूलचंद
8. मिटठन पुत्र मूलचंद समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान चामुण्डा देवी मंदिर के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 9/14 निर्णय दिनांक 29.11.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 की और से श्री मोहम्मद इस्लाम

रेस्पो0 संख्या 3 ता 8 की और से श्री बृजनन्दन दीक्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 11.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.11.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्र[illegible] है कि [illegible] न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2/प्रार्थीयान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21[illegible] पठित [illegible] 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि [illegible] 5642,5643,5644,5645 ,5646, 5647, कुल रकबा 4.77 है0 [illegible] गंगापुर सिटी मे स्थित है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साबिक ख0न0 2564 मुताबिक जमाबंदी संम्वत 2019 भू प्रबंध एकीकरण मे रहे है तथा उक्त वर्णित भूमि के भू प्रबंध एकीकरण से पूर्व ख0न0 5284,5285,5286,5287 ,5288, 5291, 5292 ,5293,5294,5295 आदि रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व मे रामकुवार दत्तक पुत्र अमोल्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त रामकुवार दत्तक पुत्र अमोल्या की अन्य कृषि भूमियां भी विभिन्न स्थानो पर स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता एवं 6 के पति स्व.शंम्भू तथा प्रतिवादी कमल ,चिरंजी व गंगाधर एवं प्रतिवादी संख्या 9 तात 12 के पिता स्व. मूलचंद रामकुवार की संताने रही है। तथा रामकुवार अमोल्या के दत्तक पुत्र रहे है। अमोल्या पूर्वज की खातेदारी व कब्जे काश्त की विभिन्न स्थानो पर कृषि भूमियां रही है। रामकुवार के ज्येष्ठतम पुत्र स्व.शम्भू रहे है, रामकुवार के ज्येष्ठतम पुत्र शंम्भू व प्रतिवादी गंगाधर रामकुवार से भी अपने भाई बहिनो से रामकुवार के जीवनकाल मे ही अलग हो गये तथा शंम्भू व गंगाधर ने रामकुवार से पैतृक कृषि भूमि का विभाजन करवा लिया तथा उपरोक्त वर्णित भूमि विभाजन के आधार पर प्रतिवादी शंभू व गंगाधर के नाम खातेदारी अंकित हो गई तथा शेष कृषि भूमियां रामकुवार की खातेदारी मे ही अंकित रही। क्योकि रामकुवार के वारिसो के मध्य भूमि की विभाजन नही हुआ। रामकुवार की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीयां रामकुवार की जायन्दा पुत्रियां है जो रामकुवार की भूमि मे अपने भाईयो के साथ समान अधिकारिणी है। रामकुवार के पुत्रो द्वारा प्रार्थीयां को भूमि का विभाजन नही किये जाने के कारण प्रार्थीयां द्वारा विभाजन का वाद बिच्या बनाम शंभू वगै0 न्यायालय मे पेश किया हुआ है परन्तु प्रतिवादी शंभू व गंगाधर उक्त वर्णित वाद मे अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त भूमि को स्वयं की खातेदारी मे अधिकारपूर्वक होना अंकित किया तथा मृतक रामकुवार की अन्य भूमियो से प्रतिवादी शंभू व गंगाधर का कोई संबंध नही रहा। परन्तु शंभू व गंगाधर द्वारा अपना हिस्सा चाहने के कारण रामकुवार की खातेदारी मे अंकित कृषि भूमियो तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए पक्षकारान मुकदमा के मध्य विभाजन किया जाना आवश्यक है। इसके विपरीत हस्तगत प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद कमल बनाम शंभू वगै0 मे वादी कमल आदि ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शंभू व गंगाधर से साज कर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीयां का कोई किसी प्रकार का हिस्सा नही मानते हुए स्वयं के हक मे ही विभाजन किये जाने के अनुतोष की अधियाचना की है जिसमे प्रार्थीयां द्वारा अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि मे से अपना 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाते हुए विभाजन कराने के लिए प्रति दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण प्रार्थीयां को वादग्रस्त भूमि से वंचित कर चुपचाप भूमि को अंतरित करने व खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। इस कारण विवादग्रस्त आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि भूमि को किसी अन्य को अंतरित नही करे न ही भूमि मे किसी प्रकार का परिवर्तन करे। भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो0संख्या 1 व 2 /प्रार्थीयां द्वारा की गई अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.19 को उभयपक्ष द्वारा वादग्रस्त आराजीयात [illegible] एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने पर सहमति [illegible] न्यायालय द्वारा ताफैसला

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दावा विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट /अप्रार्थीगण 1 ता 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नही किया गया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट काबिज काश्त रहकर अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को या तो खारिज करना चाहिए था या फिर स्वीकार किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की जाकर कानून के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोट का स्पष्ट मत है कि यथावत स्थिति का आदेश कोई आदेश की श्रेणी मे नही आता है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे कोई सहमति प्रदान नही की गई है। अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। आराजी ख0न0 5632 लगायत 5635, 5642 लगायत 5647 रकबा 4.77 है0 ग्राम उदईकलां की अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। इस भूमि से रेस्पो0 का कोई संबंध वास्ता नही है। रामकुवार की भूमि का अभी तक कोई विभाजन नही हुआ है। वादग्रस्त भूमि विभाजन के आधार पर गंगाधर व शंभू के नही आई है। बल्कि अमूल्या ने अपने जीवनकाल मे शंभू व गंगाधर को दान कर दी थी। अमूल्या के पुत्र नही था अमूल्या की सेवा चाकर देखरेख की व्यवस्था सब कुछ गैरसायल शंभू व गंगाधर ने की थी। अन्य किसी ने कोई देखभाल नही की। इस कारण अमोल्या ने अपने जीवनकाल मे सम्वत 2007 मे वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 18 बीघा को शंभू व गंगाधर को दान कर दी। जिसके बाबत तत्समय के बंदोवस्त मे अपने बयान दर्ज करवाकर अपने जीवनकाल मे ही इन्द्राज खातेदारी शंभू व गंगाधर के नाम करा दिया। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी अमोल्या के मरने के पश्चात कभी भी रामकुवार की खातेदारी नही रही है। इस प्रकार कमल वगै0 को इस भूमि बाबत दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है तो अधिनस्थ न्यायालय को टी आई प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए था। रामकुवार,कमल वगै0 ने इस भूमि को कभी काश्त नही किया यदि काश्त होती तो खसरा गिरदावरी मे काश्त का अंकन होता। उपरोक्त तथ्यो पर गौर किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। जो अपास्त योग्य है। विवादित आराजीयात के अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है । रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्व किसी प्रकार की टी आई जारी नही की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल की कई नजीरो मे यह मत पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र कें तीनो बिन्दुओ बाबत कोई विवेचना नही कर निर्णय पारित किया है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण की टी आई खारिज की जाकर अप्रार्थीगण /अपीलांट के पक्ष मे ... फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात 5632,5633,5634,5635,5642,5643,5644,5645,5646, 5647, कुल रकबा 4.77 है0 ग्राम उदई कलां तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि विभाजन के आधार पर प्रतिवादी शंभू व गंगाधर के नाम खातेदारी अंकित हो गई तथा शेष कृषि भूमियां रामकुवार की खातेदारी मे ही अंकित रही। क्योकि रामकुवार के वारिसो के मध्य भूमि का विभाजन नही हुआ। रामकुवार की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीयां रामकुवार की जायन्दा पुत्रियां है जो रामकुवार की भूमि मे अपने भाईयो के साथ समान अधिकारिणी है। रामकुवार के पुत्रो द्वारा प्रार्थीयां को भूमि का विभाजन नही किये जाने के कारण प्रार्थीयां द्वारा विभाजन का वाद बिच्चा बनाम शंभू वगै0 न्यायालय मे पेश किया हुआ है परन्तु प्रतिवादी शंभू व गंगाधर उक्त वर्णित वाद मे अपना जबाब प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त भूमि को स्वयं की खातेदारी मे अधिकारपूर्वक होना अंकित किया तथा मृतक रामकुवार की अन्य भूमियो से प्रतिवादी शंभू व गंगाधर का कोई संबंध नही रहा। परन्तु शंभू व गंगाधर द्वारा अपना हिस्सा चाहने के कारण रामकुवार की खातेदारी मे अंकित कृषि भूमियो तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए पक्षकारान मुकदमा के मध्य विभाजन किया जाना आवश्यक है। इसके विपरीत हस्तगत प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद कमल बनाम शंभू वगै0 मे वादी कमल आदि ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 शंभू व गंगाधर से साज कर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीयां का कोई किसी प्रकार का हिस्सा नही मानते हुए स्वयं के हक मे ही विभाजन किये जाने के अनुतोष की अधियाचना की है जिसमे प्रार्थीयां द्वारा अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि मे से अपना 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाते हुए विभाजन कराने के लिए प्रति दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण प्रार्थीयां को वादग्रस्त भूमि से वंचित कर चुपचाप भूमि को अंतरित करने व खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। इस कारण विवादग्रस्त आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि भूमि को किसी अन्य को अंतरित नही करे न ही भूमि मे किसी प्रकार का परिवर्तन करे। भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो0संख्या 1 व 2 द्वारा चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश विधि अनुरूप किये गये है। जिससे की वाद की वाहुलता को बढावा नही मिल सके। उभयपक्ष द्वारा मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक कायम करने हेतु सहमति स्वरूप अधिवक्तागणो द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.11.19 पर हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वाद वाहुलता की स्थिति के मद्देनजर एवं उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप ही निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया [illegible] अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि [illegible] आराजीयात के विभाजन के संबंध मे दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है [illegible] हिस्से के अनुसार भूमियो का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:37:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बंटवारा किया जाना शेष है। प्रार्थीयां बिच्चा व मिण्टो रामकुवार की जायिन्दा पुत्रियां है। जिनका रामकुवार की आराजीयात हिस्से अनुसार हक निहित है। बिना बंटवारे के भूमि का रहन बेचान नही हो तथा हस्तान्तरित नही हो वाद बाहुलता नही बढे इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्तागणो की आपसी सहमति से विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। जो विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 9/14 मे पारित आदेश दिनांक 29.11.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner